1.1 प्रस्तावना (Introduction):-

बिहार में मुसहर जाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, एंव जाति जन्म से जुड़ी होती हैं, जिसे व्यक्ति जन्म उपरांत स्वत: ही प्राप्त करते हैं। जाति, जो की अंग्रेजी के cast (कास्ट) शब्द caste (कास्टा) से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति जन्म या भेद होता हैं। जातीय सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति न तो जाति बदल सकता है न अपना व्यवसाय और न ही अपनी जातीयता को छोड़ सकता है, चाहे व्यक्ति कितना भी शिक्षित, विद्वान, प्रतिभाशाली या आर्थिक रूप से सम्पन्न क्यों न हो। यह जाति समाज का सार्वाधिक शोषित, निर्धन एवं अशिक्षित समुदाय है। इसकी साक्षरता बहुत कम है। इस जाति के प्रायः सभी लोग भूमिहीन हैं, जिसके कारण इनके रहने, खाने एवं जीने का कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं है। इनके जीवनयापन का मुख्य आधार मजदूरी है। ये प्रायः खेतिहर मजदूर हैं जो रोपाई, कटाई के अलावा टोकरी, चटाई, दोना-पत्तल आदि बनाकर जीवकोपार्जन करते हैं। जो थोड़ा बहुत शिक्षित हैं उनमे से शायद ही इक्का दुक्का लोग सरकारी सेवा में हो? ये हिन्दू धर्म को मानते हैं पर इनके देवी-देवता हिंदुओं से भिन्न होते हैं।[1]

ये जहाँ रहते हैं उस जगह को 'मुसहरी' कहा जाता है। अन्य जातियों की बस्ती को टोला कहते हैं। मुसहरी किसी भी गाँव में मुख्य धारा के समाज की बस्ती से अलग होती है। मुसहर जाति के पुरुषों को 'मुसहरा' तथा स्त्रियों को 'मुसहरनी' कहा जाता है। इनकी भी कई उपजातियाँ है, पर सामाजिक स्तर लगभग एक समान है। मुख्य धारा के समाज में ये गंदगी का प्रतीक माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति या बच्चा गंदा कपड़ा पहनता या गंदे तरीके से रहता है तो लोग उसे मुसहरा या मुसहरनियाँ कह कर संबोधित करते हैं।

1. http://www.chauthiduniya.com/2009/11/musharo-ko-vikas-ki-roshni-ka-intjar-hein.html

मानवशास्त्रीय ब्योरों के मुताबिक मुसहर अपने पूर्वजों का संबंध छोटा नागपुर पठार (झारखण्ड) की कोल जनजाति से जोड़तें हैं जो संभवत: बारहवीं शताब्दी में धान की खेती वाले उन इलाकों की तरफ प्रवास कर गए थे, जो अब झारखण्ड में पड़ते हैं।तब से इलाके में सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर इसी इलाके से आते है।आदिवासी पहाड़ी इलाकें से मैदानों में आने के दौरान उनका संपर्क एक सुस्त,खेतिहर जाति आधारित समाज से हुआ जिसकी विशेषता शुद्ता और प्रदूषण की ब्राह्मनवादी अवधारणा थी। उनको जातीय उंच-नीच के सबसे निचले पायदान के रूप में अपना लिया गया और इस तरह वे अछूत बन गए।[2]

रफिउल अहमद के मुताबिक पहाड़ से मैदानों तक, मुसहरों की नियति में एक ढलान साफ दिखती है ।वे धान के कटोरे के जितने नजदीक आते गए, गरीबी और बदहाली में उतने ही गहरे धंसते गए।उन्हें मुसहर कब कहें जाने लगा, इस पर विवाद है- जॉन नेस्फिल्ड के मुताबिक इससे उनके 'मांसाहारी' समुदाय होने का पता लगता है।दूसरी तरफ हरबर्ट होप रिस्ले इस नतीजे पर पहुंचते है कि यह शब्द मुसहरों के चूहे खाने के आकर्षण से जुड़ा हुआ है। अहमद कहते है कि इंन दोनों ही मामलों में, सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मुसहरों को दिया गया यह एक अपमानजनक नाम था।[3]

घूरिये के अनुसार, "मुसहर का नाम उसके 'मैदानी- चूहा खानेवाली जाति' को ओर इंगित करता है।[6]

के. एम. सिंह ने मुसहर समुदाय के कुछ उपनामों की भी चर्चा की है। जिनमें कुछ प्रमुख हैं- मांझी, मंडल और मुसहर[4]

---

2. सिंह, र. (2005). बिहार के मुसहर. पटना: जानकी प्रकाशन. पृ स. 17 वही

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Musahar Accessed on 2015/04/23

कमलेश मांझी की कहानी अस्तित्व और हताशा की बीच फसें लाखों मुसहरों की जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करती है (बिहार की कुल आबादी 21,00,000,), राष्टीय आबादी 35,00,000 और गया 49572(2.4) की आबादी दर्ज है।[5] भुसंडा,बतसपुर एवं सिराजपुर इसी जिले का हिस्सा है) जो भारत के सबसे गरीब लोगों में से एक है। ना तो उनके पास बदन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा और ना हि खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। मुसहरों की ख़ुशी चांदनी रात के चंद्रमा के भाती होती है।न ही वे अपने बच्चों की शिक्षा और सेहत पर कुछ खर्च कर सकते है और बेशक जिन्दगी की छोटी छोटी खुशियों पर भी नहीं।यह लगभग नियम की तरह काम करता है, कि मुसहरों को जिन्दगी में कोई अवसर नहीं मिलता-ज्यादातर वे खेतों में हाथतोड़ मजदूरी से बंधे हुए हैं लेकिन अब उन्हें दुसरे शारीरिक काम मिलने लगे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उनकी कभी भेंट नहीं होती जबकि कमलेश मांझी जैसे लोगों के लिए बनाई गई है।ऐसा इसलिए होता है क्योकिं इन कार्यकम उन तक सही तरह से पहुँचने में नाकाम रहते है और मुसहर समुदाय अपने गुजर-बसर की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते है कि वे उन चीजों की मांग ही नहीं कर पाते, जिन पर उनका हक्क बनता हैं।उनके पास इतना समय नहीं होता है की किसी व्यक्ति से राय या सलाह लें की कौन सी योजना है या कौन सा काम करना चाहिए, अगर एक दिन काम नहीं करता तो दुसरे दिन उनकें परिवार को भूखा सोना होगा। आज कमलेश मांझी की जो हालत है, वही उनकें पिता की दशा भी थी और इसकी पुरी संभावना है कि कल उनके बच्चों की भी यही दशा होगी। इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं हैं कि मुसहर समुदाय खुद अपने भाग्य का दोष देते है और उपर सर करके भगवान (असमान)की और करके अपने भाग्य एवं पाप को कोसते रहते हैं मेहनत करके संतोष कर लेते हैं। और एक हताश भरी जिंदिगी खींचते रहते

1. हसन, स. (2005). भारत का असमानता रिपोर्ट .नईदिल्ली .पृ स. 214-215

है लेकिन क्या यह इंसाफ हैं? और एक हासिये पर समुदाय कितनें लम्बे समय तक इस नाइंसाफी का बोझ बर्दास्त कर सकता है–भले ही वह अड़ियल गैर- बराबरी वाला समाज ही क्यों न हो ? इस सवाल से बचा नहीं जा सकता।[5]

मुसहर जिस तरह से गरीबी के चक्की में पिसे जा रहे है, वह गरीबी भारत में किन वजहों से कायम है? पीढ़ी दर पीढ़ी,नीतियों और कार्यक्रमों के बावजूद आर्थिक एवं राजनितिक बदलाओं के बावजूद सबसे गरीब लोग गरीबी के फंदे से क्यों नहीं निकल सकते? प्रस्तवना में मुसहर समुदायों के बारे में यह समझने का कोशिश किया गया है कि मुसहर समुदाय की स्थिति क्या है? आगे अध्याय में मुसहर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है जो मुसहर समुदाय को समझने या जानने में और मदत होगा।

मुसहर अपने त्योहारों शादी व अन्य खुशी के मौके पर कहरंवा नृत्य करते है इस नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन कर प्रहसन करते हुए नृत्य करते है और साथ में अपने पारंपरिक वाध्य यन्त्र को बजाते हुए स्थानीय बोली में गीत गाते है। यह एक तरह का समूह नृत्य है बाकी काबायली समुदायों के लोक नृत्यों की तरह। इनके वाद्य यन्त्र ज्यादा तर ढोलक, मजीरे, करताल और घर के बर्तन होते है जिन्हें यह लोग पूरे मनोयोग से रिदम के साथ बजाते है। बजाने वालो और नाचने वालो में एक अद्भुत किस्म की होड़ होती है अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने में।

मुसहरों का दुःख के साथ बिलकुल चोली दामन और दिया बाती वाला रिश्ता होता है। मुसीबतें परछाई की तरह इनके साथ साथ चलती है और शायद ही लाखो में किसी एक मुसहर को अपने जीवन में सुख का एहसास हो पाता होगा। सुखी जीवन इनके लिए चांदनी रात के

चन्द्रमा के समान होता है यह उसे देख तो सकते है और शायद कल्पनानुभूति भी कर पाते होंगे लेकिन वास्तविकता में कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते।[6]

वर्तमान में कई इलाके के मुसहर स्वयं शबरी का वंशज मानते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार, " शबरी जो हिंदी धर्मग्रंथ रामायण की एक महिला पात्र है और नीच जाति की थी, वह मातंग ऋषि के साथ जंगल में रहती थी। जब जंगल में इन दोनों की मृत्यु हो गयी तब इन दोनों ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जन्म लिया। यहाँ इनके दो पुत्र हुए। इनमें से एक दीना भगत ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तिरहुत क्षेत्र में इसी दीना भगत की पूजा दिनाभद्री भगवान के रूप में होता है। इस क्षेत्र के मुसहर इन्हें अपना कुल देवता मानते है।[7]

अंग्रेजी शासन काल में बिहार में अपराधी जनजाति कानून 1911 के एक्ट के धारा 3 तथा एक्ट 1924 के धारा 4 के तहत कई जातियों को अपराधी घोषित किया गया, जिनमें मुसहर जाति भी एक थी। इस कानून के तहत इस जाति के लोगों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। आज से कुछ वर्षों पहले जब किसी गाँव में चोरी होती थी तो महज शक के आधार पर मुसहर जाति के युवाओं को पकड़कर पीटा जाता था। इन सब का प्रभाव इनके संस्कृति पर पड़ा। साथ ही साथ तत्कालिन समय के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव इनकी भाषा और जीवन शैली को भी प्रभावित किया।

---

1. http://www.chauthiduniya.com/2009/11/musharo-ko-vikas-ki-roshni-ka-intjar-hein.html

2. भारशिव, र. (2009). *भारत का गोरव भारशिवनाग एवं उनके वंशज* . नागपुर : सुगत प्रकाशन .पृ स.23

क्षेत्र का परिचय:-

गया, झारखंड और बिहार की सीमा और फल्गु नदी के तट पर बसा भारत प्रान्त के बिहार राज्य का दूसरा बडा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की जनसंख्या 4,391,418 शहरी क्षेत्रफल :- 3,55,895 देहाती क्षेत्रफल :-23,08,908 कुल क्षेत्रफल:- 26,64,803 हैं।[9]

वाराणसी की तरह गया की प्रसिद्धि मुख्य रुप से एक धार्मिक नगरी के रुप में है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिये जुटते हैं।गया सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा पूरे भारत से जुड़ा है। नवनिर्मित गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा यह थाइलैंड से भी सीधे जुड़ा हुआ है। गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोधगया स्थित है जो बौद्ध तीर्थ स्थल है और यहीं बोधी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

गया बिहार के महत्वपूर्ण तीर्थस्थानों में से एक है। यह शहर खासकर हिन्दू तीर्थयात्रियों के लिए काफी मशहूर है। तथा बौध धम्म के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है यहां का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। दंतकथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के पांव के निशान पर इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। हिन्दू धर्म में इस मंदिर को अहम स्थान प्राप्त है। गया पितृदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहां फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करने से मृत व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया बोधगया से 13 किलोमीटर उत्तर तथा राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहां का मौसम मिलाजुला है। गर्मी के दिनों में यहां काफी गर्मी पड़ती है और ठंड के दिनों में औसत सर्दी होती है। मानसून का भी यहां के मौसम पर व्यापक असर होता है। लेकिन वर्षा ऋतु में यहां का दृश्य काफी रोचक होता है। कहा जाता है की गयासुर नामक दैत्य का बध करते समय भगवान वीष्णु के पद चिह्न यहां पडे थे जो आज भी वीष्णुपद

मंदिर में देखे जा सकते हैं। गया का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। गया मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण शहर था। खुदाई के दौरान सम्राट अशोक से संबंधित आदेश पत्र पाया गया है। मध्यकाल में यह शहर मुगल सम्राटों के अधीन था। मुगलकाल के पतन के उपरांत गया पर अनेक क्षेत्रीय राजाओं ने राज किया। 1787 में होल्कर वंश की साम्राज्ञी महारानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था।[10]

गया शहर से महज 2 किलोमीटर पर भुसंडा गाँव है जिमसें अधिकांश बाहरी लोग आकर बसे है। बड़ी बड़ी मारते के साथ साथ एक ऐसा भी जगह है जहाँ पूरा बस्ती झोपड़ पट्टी है और एक भी घर ईट का मकान नही है स जहग पर केवल दलित जातियों का निवास है स जगह पर पर्वत पुरुष के नाम से जाने, जाने वाले दसरथ मांझी का मूर्ति स्थापित है जो मुसहर समुदाय से है आज लोग भगवान की तरह पूजते है मुसहर समुदाय का पहचान वर्तमान परीस्तिथि में दसरथ बाबा के नाम से जाना जाता है स बस्ती में मुसहर समुदाय की जनसंख्या अधिक है।वे लोग शहर में मजदूरी का कार्य एवं हाथ ठेला चलाते है। भुसंडा गाँव काफी परचलित है क्योकिं स जगह पर हर साल जानवरों का मेला लगता है जो काफी दिनों तक रहता है यह गाँव फल्गु नदी के किनारे बसा है तथा बारिश के समय खतरे का डर हमेशा बना रहता हैतथा जैसे की जानते है मुसहर समुदाय चूहें को भोजन अधिक करते है स जगह पर हर दिन चूहें को पकाते मुसहर समुदाय के बच्चे देखे जा सकते है। भुसंडा गाँव की जनसंख्या 1263 जिसमें पुरुष 661 तथा महिलाएं 602 है।

करीब 500 ई०पू. में गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। तीन दिन और रात के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस्के बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। सके बाद उन्होंने वहां 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए

बिताया और फिर सारनाथ जा कर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायिओं ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पुर्णिमा के दिन ज्ञान की प्रप्ति की थी। धीरे धीरे ये जगह बोध्गया के नाम से जाना गया और ये दिन बुद्ध पुर्णिमा के नाम से जाना गया। बोधगया से महज सिराजपुर गाँव 4 किलोमीटर की दूरी है तथा बतसपुर 5 किलोमिटर की दुरी पर है। बोधगया क्षेत्र में दलितों की अच्छी खासी अबादी है।[8]

बतसपुर गाँव का परिचय

□जादी के 68 साल बाद भी बोधगया प्रखंड का पूर्वी हिस्सा मुख्यालय से नहीं जुड़ सका है। मुहाने नदी पर पुल नहीं होने के कारण यह हिस्सा अभी भी विकास से कोसों दूर है। प्रखंड के पूर्वी हिस्से की पंचायत गांवों को मुख्यालय □ने के लिए नदी से होकर □ना पड़ता है। लेकिन सूबे में नीतीश सरकार के □ने के बाद स्थानीय विधायक श्यामदेव पासवान की पहल पर मुहाने नदी पर पुल बनाकर पूर्वी हिस्से को जोड़ने का प्रयास किया गया। शिलान्यास के बाद □ज भी पुल निर्माण अधूरा है अनियमितता का शिकार है। मुहाने नदी पर पुल बन जाने से बोधगया प्रखंड मुख्यालय का संपर्क पूर्वी हिस्से के लगभग तीन सौ गांवों से हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से जाने के लिए लगभग 20 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। रोगियों, वृद्धों छात्रों को ज्यादा परेशानी होती है। पुल बनने से दक्षिण के सिलौंजा से बतसपुर, करियादपुर, फतेहपुर होते एनएच दो से संपर्क होता। दूसरी ओर उत्तरी हिस्से में ढूंगेश्वरी होते बंधु□, वजीरगंज होते एनएच 84 से बोधगया जुड़ जाता। इस पुल के बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता। भगवान बुद्ध की तपस्थली ढूंगेश्वरी पहुंचने में पर्यटकों को सुविधा होती। अभी पर्यटकों को वहां पहुंचने में गया होते हुए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।

1. बौद्ध, च. (2011). बौद्धों के आठ महातीर्थ. नई दिल्ली: स्मयक प्रकाशन पृष्ट स. 19

सिलौंजा गांव के परमानंद बताने लगे कि आसपास के कम से कम पचास गांव के लोग बस एक पुल न बनने के कारण जीवन को किसी तरह 'मैनेज' कर रहे हैं। क्या-क्या दिक्कत है? जवाब मिलता है, क्या-क्या बताएं। मरीज को बोधगया ले जाना हो तो सिलौंजा तक तो खटिया पर ही ढोना पड़ता है। गाड़ी से गया ले जाने में पंद्रह किलोमीटर लगता है। पुल बन जाए तो बोधगया जाने में सिर्फ तीन किलोमीटर लगे।

धान, गेहूं, मकई, आलू एंव दलहन आदि इस क्षेत्र के प्रमुख फसल आय के स्रोत्र हैं।निम्न आय स्तर वाले लोग खेतिहर मजदूर, ईटा भट्ठा, मिट्टी कटाई आदि आय-उपार्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं।

यह इलाका अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय क्षेत्र हैं। उच्च जातियों में यहाँ ब्राह्मण की बहुलता है। पिछड़ी जातियों में यादवों, कुशवाहा एवं चंद्रवंशी का दबदबा है। दलित जातिओं में पासवान जाति सबसे ऊपर है।

1.2 प्रविधि

अध्ययन का शीर्षक :-

"मुसहर समुदाय की सामाजिक एंव शैक्षणिक स्थिति तथा समाधान में समाजकार्य हस्तक्षेप"
(बिहार राज्य के भुसंडा,बतसपुर एवं सिराजपुर गाँव के विशेष संदर्भ में)

समस्या का चयन :-

किसी भी शोध के लिए समस्या का चयन एवं शोधकर्ता का रूचि होना अत्यंत आवश्यक होता है। तथा अपने विषय अभ्यासक्रम के अंतर्गत आने वाले है, एंव समय के अंतर्गत शोधकार्य पुरा कर सके। प्रस्तुत शोध में समस्या का चयन के रूप में एक ऐसे समुदाय को चयन किया है, जो सदियों से अपेक्षित एवं वर्तमान समय में ज्वलंत की स्थिति भारत सहित पुरे विश्व में पैदा किया हुआ हैं। "मुसहर समुदाय की सामाजिक एंव शैक्षणिक स्थिति" एवं शोधकर्ता का जो भोगोलीक क्षेत्र है एवं वही का निवासी है। तथा वहाँ के मुसहर समुदाय को बचपन से बहुत ही करिबी से देखा है। मुसहर समुदाय की वर्तमान सामाजिक एंव शैक्षणिक स्थिति क्या है। आज भी मुसहर समुदाय को चाहे सामाजिक,आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एंव धार्मिक हो सबसे निचले दर्जे में आका जाता है। आज भी मुसहर समुदाय के लोगो को नाम से कम जात से बुलाया जाता है। पुरूष को मुसहर तथा स्त्रीं को मुसहनिया कहकर पुकारा जाता है। शोधकर्ता का वर्तमान अनुभव है तथा अपने आखों से देखा है कि, मुसहर समुदाय को आज भी मंदिर में प्रवेश नही दिया जाता है। तथा उनके साथ अमानविय व्यवहार किया जाता है। इन ज्वलंत स्थिति को देखते हुए, अपने इस शोध में इस विषय का चुनाव किया है।

शोध के मूलभूत प्रश्न

1. मुसहर समुदाय को रोजमर्रा के जिन्दगी में किन सामाजिक समस्याओं से सामना करना पड़ता है?

2. मुसहर समुदाय के लोगों के स्कूली शिक्षा और संसाधन उपयोग करने के उपरांत भी शिक्षा की स्थिति क्या है और कौन सी कठिनाइयों आ रही है ?

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of study):-

1. मुसहर समुदाय की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना।
2. मुसहर समुदाय की सामाजिक,आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना ।

परिकल्पना (Hypotheses):-

1. मुसहर समुदाय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीयों में शिक्षा का अभाव है।
2. भुमिहीनता के कारण उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ता है।
3. मुसहर समुदाय के निम्न आय एवं शिक्षा का परस्पर सह-संबंध है।

शोध प्रारूप (Research Design)

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत वर्णनात्मक शोध प्रारूप (Descriptive Research Design) का सहारा लिया गया है। इसमें मुसहर समुदाय की सामाजिक एवं शैक्षणिक उदेश्यों के पूर्ति हेतु अपने अध्ययन मे शामिल किया गया हैं। मुसहर समुदाय की समस्याओं के प्रभावित करने वाले मुख्य कारको के रूप में शिक्षा, व्यवसाय, निवास, निम्न आय, स्वास्थ्य, परिवार, रोजगार, एवं छुआछूत, भेदभाव की स्थिति आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मुसहर समुदाय की समस्याओं को प्रभावित करने वाले मुख्य सभी पहलुओं को शोधकर्ता द्वारा वर्णात्मक प्रारूप के अंतर्गत विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने इस अध्ययन के लिए 'गणनात्मक शोध (Quantitative Research) एंव 'वर्णनात्मक शोध' (Descriptive Research) का चुनाव किया है। 'गणनात्मक शोध के अंतर्गत तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, आलेख एवं सभी का विस्तार पूर्वक अनुपात निकाला गया है। यह शोध मूलत: वर्णात्मक एवं गणनात्मक दोनों प्रकार का है।

अवधरणाओं का परिभाषा (Conceptualization)

सामाजिक समस्या:

व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई होते है और इनके विकास में बाधक सामाजिक चरों को सामाजिक समस्या कहते हैं। मुसहर समुदाय समाज में रहते हुए भी समाज से उपेक्षित है न तो उसका कोई सामाजिक हैसियत है और न ही सामाजिक अधिकार, और है भी हैं तो मात्र दिखावे के रूप में।

आर्थिक समस्या:

जीविकोपार्जन हेतु कठिन श्रम के बावजूद भी बदले में न मिलने वाले या कम मिलने वाले आय जिससे कि पूरे परिवार का ठीक-ठाक भरण-पोषण करना कठिन होता है उसे संसोधनकर्ता आर्थिक समस्या कहेगा।

शिक्षा:

शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकाश होता है।मुसहर समुदाय शिक्षा को क्या समझते है एवं क्या शिक्षा की लिए अपने बच्चों को प्रेरित करते है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति अपने

जीवन की लम्बी यात्रा में किसी न किसी से सदैव कुछ न कुछ सिखाता ही रहता है।लेकिन मुसहर मसुदय का वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा की स्थिति क्या है।

व्यवसाय:-

मुसहरों का पारिवारिक पेशा जंगल से जलावनी लकड़ी इकठ्ठा करना और पेडों से पत्ते इकठ्ठा कर उससे पत्तल व दोना बनाकर बेचना है। वर्तमान समय में यह लोग ईंट भट्ठों और गाँव के ऊंची जाती के लोगों के खेतों में भी काम करते हैं। इन सब कामों में जो सबसे बड़ी विडम्बना है, वो इन्हें मिलने वाली मजदूरी है, जो रुपये में न होकर अधिकांशतः अनाजों में होती है।

छुआछूत:-

मुसहर समुदाय दलित वर्ग के अंतर्गत आता है, और मुसहर समुदाय के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को हम छुआछूत कहेंगें। जो उनके गरिमा को प्रभावित करता है।

अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र (Geographical area of the study):-

शोधकर्ता ने बिहार राज्य के भुसंडा,बतसपुर एवं सिराजपुर को अध्ययन का भौगोलिक क्षेत्र माना है। इन तीन गाँवो का चुनाव करने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि इन तिनों गाँवों का बनावट भिन्न भिन्न है।भुसंडा गाँव अपने आप एक अलग पहचान है इस गावं में माइग्रेंट लोग आकर बसे है, तो दूसरी गाँव बतसपुर गाँव है जो की नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते है तथा सिराजपुर गाँव बोधगया शहर से नजदीक एवं आवागन से साधन सुलभ है।इन तीनों गाँवों का चुनाव करते समय शोधकर्ता यह देखा की भले ही गाँव की बनावट भिन्न-भिन्न हो लेकिन मुसहर समुदाय की समस्या एक ही है।

नमूना पद्धति (Sampling Method):-

मुसहर समुदाय से संबंधित आकड़े सरकारी व गैर-सरकारी दस्तावेजों में दर्ज तो है, पर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें आकड़े के अनुसार ढूढ़ना या जानकारी प्राप्त करना दुर्लभ होता है। क्योंकि मुसहर समुदाय के पास निजी भूमि नहीं होता है और अपनी भूमि न होने के कारण उनका स्थायी निवास सुनिश्चित नहीं होता। जिनका निवास है भी, तो अक्सर वे लोग काम की तलाश में पलायन करते रहते हैं।एवं संख्या-सूची निश्चित न होने के कारण नमूना पद्धति हेतु गैर-संभाव्यता नमूना चयन पद्धति के अन्तर्गत 'उदेश्यपूर्ण प्रतिदर्शन' का समावेश किया है। अतः इसी को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने इस पद्धति का चुनाव अपने अध्ययन हेतु किया।

नमूने के आकार(Sample Size):-

शोधकर्ता ने अध्ययन हेतु कुल 60 परिवारों का समावेश किया है।

अध्ययन का विश्व(Universe of the study):-

2011 के जनगणना के अनुसार बतसपुर, भुसं□ एवं सिराजपुर गया जिले के अंतर्गत में आता है। बतसपुर गाँव की कुल आबादी 2099 जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 876 है तथा मुशहरों की अच्छी खासी आबादी हैं। भुसं□ गाँव की जनसंख्या 1263 जिसमें पुरुष 661 तथा महिलाएं 602 है तथा सिराजपुर गाँव की जनसंख्या 996 है। भुसं□ एवं सिराजपुर गाँव से 15-15 परिवारों का समवेश किया हैं और बतसपुर गाँव से 30 परिवारों का चयन किया है। चयन हेतू जनसंख्या द्वारा इन तीन गाँवों में निवास करने वाले मुसहर जाति के परिवार को अध्ययन का विश्व माना है। (भारत की जनगणना,2011)

तथ्य संग्रह के तरीके (Method of Data Collection) :-

प्राथमिक स्रोत:- प्रस्तुत शोध में तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक विधि के अंतर्गत संचरित साक्षत्कार अनुसूची का उपयोग किया है एंव अवलोकन हेतु असहभागी अवलोकन द्वारा तथ्य संकलन की विधियों को अपनाया गया है।

द्वितीयक स्रोत (Secondary source):-

प्रकाशित एंव अप्रकाशित तथ्यों का उपयोग करने के साथ ही विभिन्न पुस्तकों , लेख, पत्र-पत्रिकाओं, शोध-पत्र, जनरल, वार्षिक रिपोर्ट, विकिपीडिया, चोथीदुनिया, यूट्यूब बेबसाईट, सरकारी एवं गैर-सरकारी दस्तावेजों का उपयोग द्वितीयक पद्धति के रूप में किया गया है।

तथ्य का वर्गीकरण:-

संकलित किए गए तथ्य को उसका समान रुप अथवा अलग रुप के अधार पर कुछ निश्चित समूह मे विभाजन किया गया।

संकेत पुस्तिका:-

एक बार वर्गीकरण होने के बाद एवं उसके संकेत निश्चित होने के बाद एक संकेत पुस्तिका तैयार तैयार की।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व निर्वचन:-

प्रस्तुत शोध में एस.पी. एस. एस. सॉफ्टवेर(SPSS 16.0)के माध्यम से तथ्यो का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया है। तथ्यो को योग्य स्वरुप देने के लिए तथ्यों की सारणी तैयार किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत किस प्रकार उत्तरदाताओं ने अपना मत प्रदर्शत किया। तथा हर

सारणी से प्रतिशत निकाला गया एवं प्रतिश्तनुसार सारणी से स्पष्ट करके अर्थ बोध विश्लेषीत किया गया है।

तथ्य का निर्वचन व प्रतिवेदन लेखन:-

तथ्य का निर्वचन एवं संख्यात्मक विश्लेषण के आधर पर की गई और सामाजिक, शैक्षणिक सिध्दांत के आधार पर निर्वचन किया गया। एंव हिंदी माध्यम से सहज व वैज्ञानिक शैली के आधार पर प्रतिवेदन का लेखन किया गया है।

अध्ययन की सीमा :-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए मुसहर समुदाय की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर केन्द्रित किया है। संसोधनकर्ता ने अपने अध्ययन में यह पता लगाने का प्रयास किया है कि वर्तमान समय के वैश्विक परिवेश में मुसहर समुदाय के समक्ष किस प्रकार से सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्यओं का सामना करता पड़ता है, एवं मुसहर समुदाय के बच्चे स्कूल क्यों नही जाते ? आदि के कारण खोजने का प्रयास किया गया है।

सामाजिक कार्य के ज्ञान का संबंधित अध्ययन में योगदान:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक शोध के उपरान्त भविष्य में भी अन्य अनुसंधान एवं समाज कार्य में अपना योगदान देगा। साथ ही मुसहर समुदाय के सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के प्रमाणित आकड़ो को संबंधित सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों को प्रस्तुत करेगा, जिससे कि इस समुदाय का सतत विकास हो सके।

अध्यायीकरण

विषय-सूची

अध्याय-1 शोध का परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 प्रविधि

1.3 साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय 2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

2.1 समुदाय व जाति की अवधारणा

2.2 जाति प्रथा (समुदाय) के संबंध में समाज सुधारकों का विचार

2.3 जात-पांत संबंध में नेताओं तथा विद्वानों का विचार

2.4 मुसहर समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.5 मुसहर समुदाय की दलित से महादलित की राजनितिक

अध्याय3. मुसहर समुदाय का सामाजिक,आर्थिक, एवं शैक्षणिक स्थिति

3.1 मुसहर समुदाय की समाजिक स्थिति

3.2 मुसहर समुदाय की आर्थिक स्थिति

3.3 मुसहर समुदाय की शैक्षणिक स्थिति

अध्याय4. आकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

अध्याय5. निष्कर्ष, सुझाव उवं परिकल्पना की जांच

अ.संदर्भ ग्रंथ सूची

ब. परिशिष्ट

1.3 साहित्य का पुनरावलोकन

Ghurye, G.S. (2011) ने दावा किया है कि मुसहर समुदाय महान ऋषि वाल्मिकी के पैतृक परम्परा के वंशज हैं। सही मायने में मुसहर जाति के ऐतिहासिक विकास का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसकी उत्पत्ति और नामकरण को लेकर अनेक अटकलें लगाई जाती हैं, जिसमें एक यह है कि ''मुसहर जाति छोटा नागपुर के भुइयाँ जनजाति से व्युत्पन्न है''।कुछ लोग रामायण की प्रचलित पात्र शबरी को इसका पूर्वज मानते हुए समूचे जाति का विकास-क्रम उससे जोड़ते हैं।

□ लेनिन रघुवंशी (2011) के शब्दों में ''मुसहर शब्द मूलतः मूस और आहार शब्द के मिलने से बना है जिसका अर्थ है-चूहे का आहार करने वाला।''

भूमिहीन और पारंपरिक पेशा विहीन होने की वजह से प्रारंभ में इनके पास जीवनयापन का कोई ठोस आधार नहीं था। साथ ही मुख्य धारा का समाज इसे अछूत समझता था। फलस्वरूप ये खाने के लिए कटाई के बाद खेतों और रास्ते मे गिरे अनाज को चुनते थे और चूहे द्वारा बिल में ले गए अनाज एवं चूहे को खोद कर निकाल लेते थे। कभी-कभी जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। यही इनके जीवकोपार्जन का मुख्य साधन था। मुसहरों का पारिवारिक पेशा जंगल से जलावनी लकड़ी इकठ्ठा करना और पे□ से पत्ते इकट्ठे कर उससे पत्तल व दोना बनाना आदि है। कुछ मुसहर मधुमक्खी के छत्तों से मधु निकालने का काम भी करते हैं तथा वर्तमान समय में यह लोग ईंट भट्ठा मजदूर और गाँव के ऊंची जाति के लोगों के खेत में भी काम करते हैं। इन सब कामों में जो सबसे बड़ी वि□बना है कि, इन्हें मिलने वाली मजदूरी रुपये में न होकर अधिकांशतः अनाजों में होती है और भट्ठे पर तो यह बंधुआ मजदूर होते हैं। जीविका का संकट कहने के बजाय शायद पेट भरने में आने वाली दिक्कतों के बारे में बात की जाए तो शायद ज्यादा समीचीन होगा। स्वभवतः इसीलिए इन्हें मुसहर कहा जाता है।

शोधकर्ता ने सर्वेक्षण के दौरान कई मुसहरों की बस्तियों को विभिन्न गांवों में देखा। हर गाँव में यही स्थिति देखने को मिली कि दलित भी इन्हें अपने से नीचले दर्जे का समझतें हैं और उनके साथ भी वहीं बर्ताव करते हैं जो बर्ताव उनके साथ ऊँची जाति के लोग करते हैं। इनकी बस्ती या तो ग्राम समाज के भूमि पर होती है जो की बंजर जमीन होती है या फिर गाँव के बाहर किसी सार्वजनिक छोटे से तल्लैया (छोटा तालाब) के इर्द-गिर्द होती है और इनके □वास केवल कहने के लिए और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने के लिए होता है, वास्तविकता में घास फूस की टूटी हुई केवल झोपड़िया होती है। जिसमें चार पैरों वाले जानवर की तरह रेंगते हुए लोग □ते और जाते हैं, झोपडियों की ऊंचाई ऐसी रहती है कि कोई भी स्त्री या पुरुष शायद ही अपने झोपडे में सीधा खड़ा हो पाता हो। सम्पत्ति या घर के साजो सामान के नाम पर कुछ टूटे और पिचके हुए एल्युमुनियम के बर्तन, कुछ पुराने कपडे को जोड़ कर हाथ से सिला हु□ बिछावन और कुछ जोड़ी कपड़े इसके अलावा शायद ही कुछ और किसी मुसहर की झोपड़ी में मिले।

बेबसाइट मेरी खबर.कॉम (2008) के अनुसार ‘‘□ज कल सर्व शिक्षा अभियान की वजह से मुसहरों के बच्चो का नाम गाँव की प्राथमिक पाठशाला में तो दर्ज कर लिए गए हैं लेकिन उनमें से शायद ही 19 फीसदी स्कूलों में पाए जाते हैं, बाकी के बच्चे अपने माँ-बाप के कामों में हाथ बटाते हैं। मुसहरों में यौन अनुपात, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्युदर, मातृत्व मृत्युदर बाकी सारे समुदायों से ज्यादा पाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे वाला/अन्त्योदय राशन कार्ड बड़ी मुश्किल से ही इन्हें मिल पाता है, और जिनके पास है भी इस तरह के राशन कार्ड से वो शायद ही राशन खरीद पाते है क्योंकि सामान्यतः इनके पास नगद धन नहीं रहता और रहता भी है तो वो पर्याप्त नहीं होता महीने भर का राशन एक साथ खरीदने के लिए। दूसरी तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुकानदार महीने में केवल दो या तीन दिन दुकान खोलता है और राशन भी

किस्तों में नहीं देता, उधार देना तो दूर की बात है। गाँव के सूदखोर इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए इन लोगो को इनके जरूरत के समय मनमाने ब्याज दर पर उधार देते है और एक बार जब कोइ मुसहर किसी से उधार ले लेता है तो उसे अपने बाकी पूरे जीवन में ब्याज सूद के खेल में फस जाता है और उसे उस उधार से मुक्ति, मरने के बाद ही मिलता है और कभी कभी मरने के बाद उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है।

मुसहर समुदाय की वर्तमान दशा बहुत ही दयनीय एवं जर्जर है। आज अन्य समुदाय जहाँ विकास की तेज दौर में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, वहीं मुसहर समुदाय इससे कोसों दूर जा रहा है। न तो उनके पास अपनी भूमि है और न ही अपना आवास। जिनके पास आवास है भी तो वह ग्राम समाज की जमीन पर है। कहीं-कहीं पर देखने को मिलता है कि जहाँ ये मजदूर/बंधुआ मजदूर है वहीं थोड़ी जमीन पर एक छोटी सी झुग्गी-झोपड़ी □लकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं।

मुसहर समुदाय में स्त्रियों की स्थिति

भारत में दलितों में स्त्रियों की दीनहीन दशा किसी से नहीं छिपी। दलित स्त्रियों का न सिर्फ दूसरे उच्च वर्गों द्वारा शोषण किया जाता रहा है, बल्कि वे स्वयं अपने परिवारजनों की प्रताड़ना का शिकार भी होती रही हैं। मुसहर समुदाय में महिलाओं कि दशा सोचनीय है, उनका खुद का कोई बावजूद नहीं है। आज भी नारी दहेज हत्या, अपहरण, बलत्कार, अश्लील हरकतें, छेड़छाड़, मानसिक शोषण इत्यादि तेजी के साथ किया जा रहा है, हलाकि दुसरे समुदाय से स्वतंत्रता के मामलों में काफी आगे है। वह कहीं भी अकेले आ - जा सकती है, वे अपनी आजीविका के लिए कार्य करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन/मजदूरी का प्रावधान है, चाहे पुरुष हो या महिला लेकिन यहाँ पर महिलाओं के साथ भेद- भाव किया जाता है तथा आज भी अधिकांश जगहों पर मजदूरी रुपयों में ना होकर अनाजो

के रूप में मजदूरी मिलती है। जो सिर्फ और सिर्फ दो वक्त का भोजन होता है। मुसहर समुदाय में पुरुषो की तुलना में महिलायें ज्यादा कार्य करती है। सुबह उठ के भोजन बनाना ,घर का सारा काम करना, बच्चों की देख- भाल करना तथा सबसे कठिन कार्य मजदूरी करना, एवं शाम के समय खाना एंव देशी शराब बनाना इत्यादि महिलाओं का स्वास्थ भी हमेशा ख़राब होता है तथा उनकीं एक परम्परा में यह है कि कभी बीमार होने पर सबसे पहले वे शराब का सेवन करते है।

आधुनिक काल में, तो मानो नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा किन्तु पतन के बाद उत्थान प्रकृति का नियम है इसलिए 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ –साथ सामाजिक आन्दोलन भी प्रारम्भ हुए जिससे समाज में जागृति की एक लहर दौड़ी। तथा भारत के अनेक कोनों में एक क्रांति उभर के सामने आयी, लेकिन दुर्भाग्य वश मुसहर समुदाय की महिलाओं की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। भूत काल एंव वर्तमान काल दोनों में ये हाशिये पर है।

2001 की जनगणना के अनुसार, बिहार में उनकी कुल आबादी 21,12,136 थी। इसमें 59,165 आबादी शहरों में और शेष 20,52,971 आबादी गांवो में बसी हुई थी। (भारत सरकार, 2001) बिहार के मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हजारीबाग, संन्थाल, परगना, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, और गया इत्यादि जिलों में मुसहरों की अच्छी- खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश में वे प्रान्त के मध्य और पूर्वी भागों में बसे हुए है। ऐसा माना जाता है कि 'मुसहर' शब्द का अर्थ मांस की खोज या शिकार करने वाले से जुड़ा हुआ है ('मसु' अथार्त मांस और 'हेरा' अर्थात, खोजी)। कुछ अन्य लोग मानते है कि इसका संबंध चूहे को पकड़ने या खाने से है ('मुस' अथार्त चूहा) (शर्मा, 2002)। इस जाति को एक - दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। अवध के जिलों में उन्हें आमतौर से 'वनमानुष' के नाम से जाना जाता है। कुच्छ अन्य नाम जैसे बनसत्ता, सियोरी

और दियोसिया नाम भी शामिल हैं, जो उनके महान पूर्वज दियोसी से जुड़ा है, अर्थात बनराज या जंगल का राजा। इसी तरह प्रचलित नामों से भी जाना जाता है। इसी तरह बिहार के गया जिले में भुइयाँ नाम भी कहीं-कहीं प्रचलित है। (नेसफ़ील्ड,1988,3)

डॉ. बी. □र. अंबेडकर,1936 कहते है,यह दुखद है कि □ज भी जाति का बचाव करने वाले कहते है कि जाति व्यवस्था श्रम के विभाजन का नाम है, वे कहते है कि सभ्य समाज का लक्षण है इसलिए जाति व्यवस्था गलत नहीं है। यह मजदूरों को भी □पस में विभाजित करता है।

मुसहर समुदाय का मुख्य व्यवसाय सुअर पालन एवं देशी शराब है। एक तरफ वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचतें हैं, तो दूसरी ओर जंगल की चौड़ी पत्तियों से पत्तल दोना बनाते हैं। परन्तु वर्तमान में लोग इनके द्वारा बनाये गये पत्तलों का प्रयोग न के बराबर करते हैं। जिसके कारण इनके □जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये खेती के मौसम में चाहे बु□ई हो या कटाई, अक्सर अन्य राज्यों में काम के तलाश में पलायन कर जाते हैं। जहाँ पर मुसहर बंधु□ मजदूरी करते है वहां इन्हें कठिन श्रम के बदले दो वक्त के लिए अनाज मिलता है। जिसके कारण इनके □र्थिक स्थिति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। वहीं बोधगया के □स-पास रहने वाले मुसहर रिक्शा या ठेला (सामान ढ़ोने की छोटी हाथ गाड़ी) का प्रयोग करते हैं, परन्तु इससे जो □मदनी की प्राप्ति होती है उसमें □धे से ज्यादा तो शराब की भेंट चढ़ जाता है।

बिहार मे इस समुदाय को भूईया भी कहा जाता है, जो मै बचपन से सुनता □या हूँ इनके जीवन शैली के बारे मे एक कहावत कही जाती है एक लबनी ; 'मिट्टी की छोटी बर्तन धान में भूईया बैरायल' और उनकर बच्चा धूल में लोटायश् तात्पर्य यह था की अगर दिन भर में लगभग एक किलो धान खेतो से बटोरने या मेहनत से मिल जाय उसके बाद उनसे राजा इस पृथ्वी

पर कोई नही। उनकी इस जीवन शैली को सामंती लोंगो ने जबरदस्त मज़बूरी का फायदा उठाया है। सिर्फ एक पौवा देशी दारू में दिन भर कठिन कार्य निकल लेता है|

जिन जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, उन जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर दिया। इन जातियों को किमिनल ट्राइब्स जैसी कठोर श्रेणी के अलावा डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमेडिक ट्राइब्स में डाल दिया। अत: अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इन जातियों का सबसे ज्यादा दमन किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद इसी एक्ट को आई पी सी (1860-61) में अति कठोर कानून बना दिया पहले सवर्णो ने मुगलों और फिर अंग्रेजों ने बहुजनों का इस तरह शोषण किया कि वे दाने -दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए वे कानून हाथ में लेकर अपराध करने लगे। इन्हें काबू में करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने 1871 में पुन क्रिमिनल एक्ट में संशोधन कर सैकडों जातियों की सूची तैयार की। इन कठोर कानूनों में उन जातियों को शामिल किया जो लडाकू एवं स्वाभिमानी थे। इस अपराधिक सूची में भर, राजभर, रजवार, मुसहर, पासी, दुसाध, खटिक, नट, चमार, भुइयाँ जैसी जातियां थी। मगर हैरानी की बात यह है कि इस सूची में न तो किसी सवर्ण जाति का नाम था और न ही किसी मुस्लिम जाति को शामिल किया गया। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी हुकूमत उपरोक्त जातियों से किस हद तक भयभीत व आतंकित थी कि उन्हें कठोर कानून का सहारा लेना पडा। जब अंग्रेजों ने सैकड़ों किमिनल जातियों की सूची तैयार की तो सवर्णो ने ही इन्हें चिन्हित करने में सहयोग किया था। जिस प्रकार मुगल काल में सवर्णो ने भारत के लडाकू व शक्तिशाली जातियों को दबाने के लिए मुसलमानों का साथ दिया था, ठीक उसी प्रकार इस काले कानून की आड़ में अंग्रेजों के इन चमचों ने खूब फायदा उठाया। इस काले कानून का सहारा लेकर अंग्रेजों के दलालों ने भारत के बहुसंख्यक जातियों का जीना हराम कर दिया। अंग्रेजों के इन पिट्ठुओं ने इस काले कानून के सहारे कमजोर वर्ग के लोगों को

डराकर उन्हें कम मजदूरी पर काम करने को विवश कर गुलाम बना लिया। उन्हीं दरिंदों ने बहुजन समाज की बहु-बोटियों की इज्जत को तार-तार किया। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान इस जाति को हुआ।

लडाकू एवं क्रान्तिकारी जातियों को अपराधी घोषित कर अंग्रेजी सरकार ने निम्नलिखित क्रिमिनल एक्ट लागू किए गए 1793XXII और आईपीसी (1860-61), 1867, 1871, 1902, 1903,1914, 1920, 1923, 1924 तथा 1946। मजेदार बात यह है कि 1857 विद्रोह के बाद लडाकू एवं क्रान्तिकारी जातियों के उपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया जा रहा था जबकि दूसरी ओर उच्च वर्गीय जातियां अपने को ठाकूर, राय साहब, जमींदार, महाराज, महाजन, जागीरदार, साहूकार, राय बाबू की उपाधि देने में व्यस्त थी। सन् 1923 आते-आते इस एक्ट के शिकंजे से कई जातियों को मुक्त कर दिया गया। कुल संख्या 193 रह गई जबकि 1924 में इनकी संख्या 123 रह गई। सन् 1924 के बाद क्रिमिनल ट्राइब्स के शिकंजें में फंसी इन जातियों को उन राज्यों से बहुत जल्द मुक्त करा लिया गया, जहाँ पर सामाजिक आन्दोलन चलाए गए। मा. रामास्वामी पेरियार जी ने इस एक्ट के विरूध्द गुजरात एवं मद्रास में आन्दोलन चलाए जबकि मा. ज्योतिबा फुले एवं मा. बाबासाहेब ने महाराष्ट्र में आन्दोलन चलाया। यही वजह थी की इन राज्यों से बहुत जल्द क्रिमिनल एक्ट हटा लिया गया। जबकि अन्य राज्यों से यह एक्ट आजादी के बाद 30 अगस्त 1950 को ही हट पाए।

जाति व्यवस्था से हानि :-

जाति व्यवस्था कई समस्याओं की जड़ है। जाति व्यवस्था ने राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ी हानि पहुँचाई है। हर जाति स्वंय को अलग समाज के रूप में देखती है हर व्यक्ति का परिचय व पहचान उनकी जाति से होती है। एक जाति दुसरे जाति से आपने को अलग समझती है। इसी

वजह से सामाजिक विषमता बढ़ी है। यह विषमता केवल सामाजिक उच्च-नीच, भेद-भाव तक सीमित नही है, बल्कि राजनीतिक एंव धार्मिक क्षत्रों तक फैली हुई है। जाति व्यवस्था के कारण ही भारतीय समाज बंटा रहा है, इसी वजह से कई विदेशियों शासकों का इस देश पर आक्रमण होता रहा है और सब जातियों ने मिलकर उसका मुकाबला नहीं किया। इस लिए देश बार-बार गुलाम होता रहा। पाकिस्तान के रूप में भारत का बटवारा होने के पीछे जाति व्यवस्था एक बड़ी कारण थी। श्री. जिन्नाह ने इंगलैंड में गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन का मांग करते हुए कहा था कि "जो हिंदू अपने धर्म के अंतर्गत अछूतों के साथ भेदभाव करते है, उनके साथ हम कैसे रह सकते हैं"।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है कि जाति प्रथा सामाजिक प्रदूषण है। जो अब हिंदू समाज का कोढ़ बन गया है। हिंदू समाज में जाति केवल प्रतिष्ठा का परिचायक है। जाति ने ही भारतीय समाज में फुट और कलह पैदा की, जिससे भारतीय समाज पतन के गर्त में पहुँच गया। यह उच्च कहे जाने वाले लोगों के हाथ की तलवार है जो अपनी बहुमत पर राजनितिक एंव प्रशासनिक वर्चस्व को बनाये रखती है। इसने व्यक्ति के गुणों एंव निष्ठा के जाति में ही सीमित व कुंठित कर दिया है। "श्री के.एम. पन्निकर नें अपनी पुस्तक "कास्ट एन्ड डेमोक्रेसी" में लिखा है, जाति प्रथा एक सामाजिक साम्राजवाद है जो आचार से अपना है और जिसको धार्मिक संरक्षण प्राप्त है।

वर्ष 1992 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालु प्रसाद ने घोषणा की थी, कि जो मुसहर माता पिता अपने अपने बच्चें को स्कूल नहीं भेजेंगे उन्हें जेल की सजा दी जायेगी साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की जो मुसहर अभिभावक अपने बच्चें को नियमित रूप से पाठशालाओं में भेंजेगें उनके बच्चों को वजीफा के रुप में एक रुपया प्रतिदिन दिया जायगा। अपनी इस उदघोषणा से

मुख्यमंत्री ने बिहार में शैक्षिक रूप से अत्यन्त पिछडी़ जाती मुसहरों का शिक्षा की ओर देश का ध्यान खींचा है। वर्ष 1992-93 में मुसहर की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशष रुप से 40 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है।

बिहार की 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों में मुसहर की आबादी 15 लाख थी, चमारों की 29.78 लाख तथा दुसाधों की 26.86 लाख थी। बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या की 60% सिर्फ ये तीनों जातियाँ है। यह भी उल्लेखनीय है कि उतर प्रदेश में मुसहर की आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों में जहां चमारों में साक्षरता का प्रतिशत 11.5 और दुसाधें में 12.5 था, वहीं मुसहर में 2.2 प्रतिशत था जबकि बिहार राज्य की औसत साक्षरता 32 प्रतिशत थी।

1891 की जनगणना में बंगाल के ब्राह्मण में (उस समय बिहार एंव उडी़सा बंगाल के हिस्से थे) साक्षरता 24.88% थी जबकी कायस्थों में यह 29.4% थी। इन जातियों ने आज से 100 वर्ष पूर्व साक्षरता का प्रतिशत प्राप्त किया था, अनुसूचित जातियाँ 1981 की जनगण्ना में भी वह प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रही है। यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ब्राह्मणों ने जो साक्षरता प्रतिशत 1981 में प्राप्त किया था, वर्तमान गति से उसे प्राप्त करने में मुसहर को 1200 वर्ष लगेंगे तथा कायस्थों में 1891 में जो साक्षरता प्रतिशत था उसे प्राप्त करने में उन्हें 1500 वर्ष लग जायेगें। ब्राह्मणों एवं कायस्थों के 1891 के साक्षरता प्रतिशत तक पहुँचने में दुसाध तथा चमार जातियों को और 100 वर्ष लगेंगे। किन्तु क्या राष्ट्र शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी इन जातियों को शिक्षा प्रदान करने में इतना समय गॅवाने का खतरा मोल ले सकता है ? उससे भी गंभीर प्रश्न जो यहाँ उठ रहा है, वह यह है कि क्या हम देश के सबसे निचले स्तर पर निरक्षरता के अंधकूप में स्थित इस आबादी के शैक्षिक उत्थान के लिए सचमुच गंभीरता से प्रयासरत हैं ? सुविधाभोगी

भारतीयों ने इन अशिक्षितों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में क्यों इतनी देर की है? या जान बूझकर ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं जिससे अशिक्षितों की यह फौज ज्यों की त्यों बनी रहे।

ऐसी ही कुछ समस्याएँ हैं जो आज राष्ट्र के सबसे बड़े समुदाय (हिन्दुओं) के समक्ष किसी अन्य समस्या से ज्यादा गंभीरता से खड़ी हैं। वैसे लोगों की शिक्षा की बात पर जो अब तक उनके गुलामों की तरह कर रहे हैं, समाज के उच्चवर्गीय लोग गुस्से से लाल हो उठते हैं। निचले वर्गों के प्रति धार्मिक, आर्थिक, नासमझी तथा असहानुभूतिपूर्ण रवैया ही सबसे ज्यादा घातक है। उच्चवर्गीय लोगों ने अब तक शिक्षा को निम्न वर्गों के खिलाफ आक्रमण के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। अगर कोई अभिवंचित, उच्चवर्गीयों के इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसमें घुस जाता है तो पूरा प्रयास किया जाता है कि घुसने वाले को आगे बढ़ने का कोई अवसर ही न मिले। चुन्नी कोटल की अगस्त 1992 में हुई मौत इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण है। विद्यासारगर विश्वविद्यालय, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल से चुन्नी कोटल लोधा जनजाति की पहली स्नातिका थी। उसके विश्वविद्यालय के ही एक सवर्ण शिक्षक ने कदम-कदम पर उसे निरंतर अपमानित किया। उसकी मर्यादा एवं मनोबल गिराने के लिए उसका शिक्षक विश्वविद्यालय परिसर में उसे जरायम जाति की लड़की कहकर पुकारता था। फलतः चुन्नी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। अपने विश्वविद्यालय के संपूर्ण विद्यार्थी जीवन में चुन्नी को तथाकथित शिक्षा के उस मंदिर में अपमानित होते रहना पड़ा।

प्रश्न उठता है कि क्या वस्तुतः अशिक्षा का कारण देश में धन का अभाव है अथवा अभिवंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा सवर्णों की विद्वेषपूर्ण मनोवृत्ति है।

सर रिसले ने 1891 में अपने मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण में पाया कि मुसहरों की शादी-ब्याह के तौर-तरीके हिन्दुओं जैसे ही थे तथा तत्कालीन निम्न जाति के लोगों के प्रचलन के अनुरूप थे।

सर रिसले के अनुसार-तिरहुतिया मुसहर जो गंगा के उत्तरी किनारे पर बसे थे उनमें बाल-विवाह का प्रचलन था जबकि शाहाबाद के मुसहरों की लडकिया जब जवान होती थीं तब उनकी शादी होती थी। कुमारी लड़कियों के लिए दो रूपया दाम होता था। अगर लड़की के कौमार्य पर किसी प्रकार का संदेह हो तो कीमत आधी दी जाती थी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की बहुत-सी जातियों में उस समय विवाह के समय लड़की के लिए धन देने की स्वस्थ परंपरा प्रचलित थी।

मूलरूप से मुसहर जाति के लोग बौध्द धर्मावलंबी थे। वेवरली के अुनसार हिन्दुओं द्वारा उन्हें अछूत मानने का यह सबसे बड़ा कारण था। मुसहरों का शांत, विनम्र तथा अहिंसक स्वभाव भी इस तथ्य का द्योतक है। मुसहर जाति स्वभावतः दब्बू किन्तु अत्यन्त मेहनती होती है, यह 1872 की जनगणना रिपोर्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है। अगर उन पर जरा भी दबाव पड़ता था तो वे पूरा टोला खाली करके अन्यत्र चल देते थे तथा पीछे झोपड़ी ही उनके निवास की कहानी कहती थी।

कठिन मेहनत करने वाले तथा अत्यन्त विश्वासी मुसहर बेहद दयनीय स्थिति में जीते हैं। उनकी गोल छोटी झोपड़ी को देखकर आज से 100 वर्ष पूर्व एक अंग्रेज अधिकारी ने टिप्पणी की थी- ''यह एक विलायती सुअर के लिए भी छोटी है।'' यद्यपि पंक्तियां कटु तथा अपमानजनक लगती हैं तथा जाति दुर्भावना से प्रेरित दिखती हैं, फिर भी मुसहर के संबंध में यह तब भी सत्य था और आज भी कमोबेश सत्य ही है।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रशासकों की रिपोर्ट से इसमें कोई संदेश नही है कि मध्य बिहार में मुसहरों एवं अन्य छोटी जातियों को ''कमिया'' के रूप में जमींदारों ने अपने यहाँ रखा। ये कमिया सीधे शब्दों में कहें तो जमींदारों के गुलाम थे। यह क्षेत्र आज नक्सल एंव भूमि आंदोलन

की चपेट में है। इस संबंध में 1874 में मुंगेर जिला के कलक्टर श्री लकउड द्वारा दिया गया एक उदाहरण काफी होगा-

''क्षेत्र की सारी भूमि प्रायः 'कमिया' लोगों द्वारा जोती जाती है, जो वास्तव में जमींदारों के बंधुआ मजदूर होते हैं। ये लोग मुसहर एवं दुसाध जातियों के है। शायद ही कोई मुसहर होगा जो बंधुआ मजदूर नहीं हो। मैंने इनमें से बहुतों से बातचीत की है तथा सबसे एक ही उत्तर पाया है। परंपरा ऐसी लगती है कि कोई मुसहर जब जवान होता है- वह शादी के लिए महाजन से कर्ज लेता है तथा बदले में जीवन भर के लिए उस जमींदार का बंधुआ मजदूर हो जाता है। एक बार कर्ज लेने के बाद अगर वह उस महाजन को लौटाना भी चाहे तो महाजन कर्ज लौटाने से इन्कार कर देता है। ब्याज एवं चक्रवृध्दि ब्याज के एक ऐसे भॅवर में उसे फॅसा दिया जाता है जहाँ से आजीवन उसकी मुक्ति संभव नहीं होती।

''कमिया'' लोगों की दयनीय आर्थिक स्थिति का लाभ लेकर गया जिले के जमींदार इन्हें जघन्य अपराधों में लगाते थे। वे पहाड़ों एवं दुर्गम स्थलों पर रहते थे तथा अपने मालिकों के इशारों पर हत्या एवं लूटपाट का कार्य करते थे जो उस क्षेत्र की विशेषता थी। अगर वे इस कार्य से इन्कार करते थे तो मालिको द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती थी। यदि वे हत्या करने में विफल होते तो वे स्वयं जान गवा देते थे। यदि कामयाब होते तो पुलिस उन्हें पकड़ कर सजा देती थी। इस तरह वे लोग दोनों तरफ से मौत का भय झेलते थे। अपराधी होने के कारण सरकार भी इनके पीछे पड़ी रहती थी।''

जैसा कि स्पष्ट है, वे लोग स्वभावतः अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे तथा जमींदारों एवं उच्चवर्गीय लोगों के दबाव में उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध अपराध करना शुरू किया होगा। इनकी चूहे खाने की आदत भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनमें अपने अस्तित्व को बचाने के कारण

पड़ी होगी। क्योकि बिल्कुल शुरू में इन्होंने अपराध से स्वयं को बचने का निश्चित प्रयास किया होगा। फिर भी इनके द्वारा किए गए अपराध उच्चवर्गीय सवर्णों द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में कम थे।

मुसहर की सामाजिक स्थिति अत्यन्त नीची थी। सर ई.ए. गैट, आई.सी.एस. तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने 1911 में हिन्दू होने के बारे में एक 10 सूत्री अर्हता सूची तैयार की थी- उसके अनुसार-

(क) मुसहर किसी ब्राह्मण अथवा अन्य समकक्ष हिन्दू से मंत्र नहीं लेते थे।

(ख) कोई भी कुलीन ब्राह्मण उनका पुजारी नहीं होता था।

(ग) कोई ब्राह्मण उनका गुरू नहीं होता था।

(घ) वे किसी भी हिन्दू मंदिर में प्रवेश के हकदार नहीं होते थे।

(□) उनके छूने से चीजें अपवित्र मानी जाती थी।

6, 26,795 की आबादी वाले मुसहर तथा 59 अन्य निचली जातियों के साथ उक्त शर्तें लागू होने से उनके हिन्दू होने पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया तथा सवर्ण हिन्दुओं के इस व्यवहार के कारण ही 1870 में इन लोगों ने इस्लाम ग्रहण करने का फैसला कर लिया। किन्तु अन्त में वे इसे क्रियान्वित करने से पीछे हट गए।

बाइबिल में लोगों को सलाह दी गई है कि ''अपने पड़ोसी को प्यार करो''। किन्तु इस पर अमल करना अत्यन्त कठिन है, विशेष रूप से भारतीय हिन्दुओं के लिए जो इसे नहीं मानना चाहते-चाहे कितना भी पवित्र एवं आदर्शवादी यह उपदेश क्यों न हो? ऐसा नहीं कि हिन्दू इसकी

सराहना नहीं करते किन्तु उनका जाति संबंधी पूर्वाग्रह इतना ज्यादा होता है कि वे अपने पड़ोसी को प्यार कर ही नहीं सकते अगर वह उनका स्वजातीय नहीं हो किसी विजातीय को बर्दाश्त करना इनके लिए कितना ही उपयोगी क्यों न हो? जैसे हिन्दू जो समाज में उच्चस्थ स्थान पर है उन्हेंने अपने चारों ओर सामाजिक, शैक्षिक एवं नैतिक क्षमता विकास की दीवार खड़ी कर रखी है और वे इसका लाभ अपने से निचली जातियों को नहीं देना चाहते।

□ज भारत की शैक्षिक स्थिति परिवर्तन में सबसे,बड़ी बाधा संपन्न लोगों के वैचारिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं □ना साबित हो रहा है, तथा उनके इस दुराग्रह में परिवर्तन □ना कठिन दिखाई दे रहा है। भारत की वर्तमान सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति सुविधाभोगी वर्ग को इसके लिए प्रेरित नही करती कि वे अभिवंचितों को समाज की उन सुविधाओं का उपयोग करने दें जो अब तक सिर्फ साधन संपन्न लोगों के पास है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें ठीक इसके विपरीत □चारण के लिए उकसाती है।

संदर्भ सूची (References)

1.आहूजा, र. (2011). सामाजिक समस्याएँ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स पृष्ट स. 7,35,39

2.विशवास, अ. (2011). धर्म उत्पीड़न का यंत्र. दिल्ली: गौतम बुक सेण्टर पृष्ट स. 22,24-25

3.भारशिव, रि. (2009). भारत का गौरव भारशिवनाग एंव उनके वंशज. नागपुर: सुगत प्रकाशन पृष्ट स. 232-135

4.नारायण, ब. (2014). हिंदुत्व का मोहिनी यंत्र. राजकमल प्रकाशन: पटना पृष्ट स. 130-133

5.मदन, जी. (2009). भारतीय सामाजिक समस्याऐ. दिल्ली: विवेक प्रकाशन |

6.अम्बेडकर, बी. र. (2007). शूद्रों की खोज, सम्यक प्रकाशन: नई दिल्ली पृष्ट स. 29-31

7.Ghurye, G. S. (2011). Caste and Race in India, Chicago: The University of Chicago.

8.Kumar, B.M (2009). Mushar of Bihar: An anthropological Profile: Tata Institute of social sciences

9.Kumar,V.(2013). contemporary socio–economic-political situation of musahars in north bihar: a case study: tata institute of social sciences

Website

1. www.Merikhabar.com Accessed on 2015/03/22

http://www.merikhabar.com/News/N1204.html

2. Office of the Registrar General. .2001Bihar. Data Highlights: The Scheduled Castes. Census of India .2001

http://www.censusindia.gov.in/Tables_Published/SCST/dh_sc_bihar.pdf Accessed6july2011.

3. Wikipedia.org website, Accessed on 2015/02/16

http://hi.wikipedia.org/s/1pho

4. Hinditech.co.in, website, Accessed 0n 2015/04/23

http://www.hinditech.co.in.news

5. Census of india Website, Accessed on 2015/04/23

http://www.censusindia.gov.org

6. www.chauthiduniya.com, website Accessed on 2015/04/26

http://www.chauthiduniya.com/2009/11/musharo-ko-vikas-ki-roshni-ka-intjar-hein.html

www.youtube.com Accessed on 27/04/2015

from https://www.youtube.com/watch?v=Dl7uVFk-34U

7. www.youtube.com Accessed on 2015/04/27

https://www.youtube.com/watch?v=yAndKtzEVhA

17.http://musahar.blogspot.in/2009/06/musahar-community-of-north-india-bonded.html

18.http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_Glance/scst.aspx Accessed on 27/08/2015